न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 54/2022

अनवान

1. गीता देवी पत्नि श्री जगदीशचन्द्र जाति मेहतर (हरिजन) नि0 मंगरोप तह हमीरगढ।
2. सचिन कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र जाति मेहतर(हरिजन) नि0 मंगरोप तह हमीरगढ।
3. सुनिल कुमार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र जाति मेहतर(हरिजन) नि0 मंगरोप तह हमीरगढ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जाफर मेवाती पुत्र श्री अब्दुल हकीम जाति फकीर मुसलमान नि. मंगरोप तह हमीरगढ।
2. हमीद पुत्र गनी जाति जाति फकीर मुसलमान नि. मंगरोप तह हमीरगढ।
3. चुन्नीलाल पुत्र श्री कनीराम खटीक नि–मंगरोप तह हमीरगढ।
4. रामनिवास पुत्र श्री नारायण लाल जाति मेहतर(हरिजन) निवासी मंगरोप तह हमीरगढ।
5. डालु पुत्र बंशी खटीक निवासी मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 10.05.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भॅू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 279 की कृषि भूमि की आ0न0 1846 रकबा 0.2023है0, आ0न0 1849 रकबा 0.0253है0, कुल किता 02 रकबा 2.4027 है0** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 279 की कृषि भूमि की आ0न0 1846 रकबा 0.2023है0, आ0न0 1849 रकबा 0.0253है0, कुल किता 02 रकबा 0.2276है0** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/–रू0 [illegible] जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी [illegible] निर्धारित 10.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। [illegible] दाखिल दफ्तर रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested

(अं[illegible] आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा